"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 दिसम्बर 2012—अग्रहायण 23, शक 1934

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2012

क्रमांक ई-01-02/2012/एक/2.—श्री उमेश कुमार अग्रवाल, भा.प्र.से., उप सचिव, ऊर्जा विभाग तथा संचालक, महिला एवं बाल विकास, रायपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उप सचिव, सूचना एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 नवम्बर 2012

क्रमांक 18140 क-भू-अर्जन/2012.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	सपोस प. ह. नं. 23	1.37	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	मांड व्यपवर्तन योजना के बगरैल माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 नवम्बर 2012

क्रमांक 18141 क-भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	सपोस प. ह. नं. 23	2.79	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	मांड व्यपवर्तन योजना के लटेसरा माइ.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 नवम्बर 2012

क्रमांक 18142 क/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	सपोस प. ह. नं. 23	3.28	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	मांड व्यपवर्तन योजना के बर्गेल सब माइ.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 नवम्बर 2012

क्रमांक 18143 क/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	लटेसरा प. ह. नं. 23	1.47	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	मांड व्यपवर्तन योजना के मौहापाली मा. क्र. 2.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 नवम्बर 2012

क्रमांक 18144 क/भू अर्जन/2012.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कांशीडीह प. ह. नं. 25	0.73	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	मांड व्यपवर्तन योजना के कांशीडीह मा. क्र. 1.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 नवम्बर 2012

क्रमांक 18148 क/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	किरारी प. ह. नं. 21	0.09	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	मांड व्यपवर्तन योजना के किरारी मा. क्र.-1.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2012

प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-रहंगी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-227.47 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1039/1	0.60
1039/2	0.20
1040	0.18
1041	0.10
1042/1	0.30
1042/2	0.46
1042/3	0.40
1042/4	0.24
1042/5	0.23
1042/6	0.24
1043/1	2.40
1043/2	1.00
1043/3	0.40
1043/4	0.50
1043/5	0.50
1044	0.32
1045/2	0.26
1045/1	0.70
1047	1.25
1048	0.10
1049	0.30
1050	0.88
1051/1	0.40
1051/2	0.68
1052	0.64
1053/1	0.30
1053/2	0.30
1054	0.54
1055	0.40
1056	0.44
1057/1	0.40
1057/2	0.20
1058	0.08
1059/1	1.39
1059/2	1.10
1059/3	1.01
1060/1	0.65
1060/2	1.37
1061	1.78
1062	1.80
1063/1	0.62
1063/2	1.07
1063/3	0.60
1063/4	0.60
1063/5	0.48
1064/1	0.48
1064/2	0.38
1064/3	0.10
1065	0.82
1066	2.13
1067	1.69
1068	0.44
1069	0.38
1070	1.20
1071/1	0.38
1071/2	0.35
1071/3	0.50
1071/4	0.39
1072/1	0.91
1072/2	1.28
1073/1	0.60
1073/2	0.66
1073/3	0.61
1073/4	0.48
1073/5	0.18
1073/6	0.40

(1)	(2)	(1)	(2)
1073/7	0.16	1102/1	0.20
1073/8	0.95	1102/2	0.19
1073/9	0.40	1102/3	0.20
1073/10	0.46	1103	0.26
1074	1.50	1104/1	0.24
1075/1	0.70	1104/2	0.76
1075/2	0.80	1104/3	0.12
1075/3	1.03	1105	0.02
1075/4	1.09	1134	0.52
1075/5	0.30	1135/1	1.23
1076	0.65	1135/2	0.42
1077	0.58	1135/3	1.00
1078/1	1.12	1135/4	0.60
1078/2	1.12	1136	0.74
1079	0.79	1137/1	0.03
1080/1	0.72	1140/1	0.02
1080/2	0.72	1152/1	0.15
1081	1.03	1156/1	0.19
1082/1	0.40	1157	0.20
1082/2	0.49	1158	0.40
1083	0.12	1159	1.92
1082/3	0.60	1160/1	0.30
1084	1.21	1160/2	0.30
1085	2.09	1160/3	0.30
1086/1	0.60	1160/4	0.30
1086/2	0.74	1161	1.10
1086/3	0.87	1162/1	0.02
1086/4	0.60	1163/1	0.05
1086/5	0.86	1164/1	0.95
1087	0.31	1164/2	0.32
1088	0.40	1164/3	0.32
1089	0.52	1165/1	1.80
1090/1	1.25	1165/2	1.00
1090/2	1.25	1165/3	1.00
1091/1	1.00	1166	0.56
1091/2	1.25	1167/1	0.63
1091/3	0.26	1167/2	0.48
1092	1.54	1167/3	0.44
1093	0.30	1167/4	0.37
1094	0.22	1168/1	2.17
1095	0.60	1168/2	0.75
1096	0.17	1168/3	0.50
1097	0.55	1168/4	0.48
1100	0.07	1168/5	0.94
1102/4	0.19	1168/6	1.51
1101	0.50	1169/1	0.90

(1)	(2)	(1)	(2)
1169/2	0.30	1189	0.40
1170	0.82	1190/1	0.38
1171	1.34	1190/2	0.37
1172/1	0.60	1191	0.32
1172/2	0.32	1192	0.60
1172/3	0.50	1193/1	0.30
1173/1	0.06	1193/2	0.26
1174	0.69	1194	0.25
1175/1	0.63	1195/1	0.14
1175/2	1.10	1195/2	0.30
1175/3	0.80	1196	0.38
1176	0.20	1197	0.34
1177	0.80	1198/1	0.20
1178	0.51	1198/2	0.26
1179/1	0.15	1199	0.20
1179/2	1.00	1200/1	0.52
1179/3	1.40	1200/2	0.53
1180/1	0.55	1201	0.22
1180/2	0.10	1202/1	0.57
1180/3	1.02	1203/1	0.05
1180/4	0.62	1202/2	0.58
1180/5	0.50	1203/2	0.05
1180/6	0.50	1204/1	0.36
1180/7	1.00	1204/2	0.77
1180/8	1.50	1205/1	0.22
1180/9	0.03	1205/2	0.08
1180/11	0.65	1205/3	0.17
1180/12	0.50	1205/4	0.43
1180/13	0.16	1205/5	0.15
1180/14	0.50	1205/6	0.22
1180/15	0.50	1205/7	0.20
1180/16	0.50	1205/8	0.44
1181/1	0.80	1205/9	0.49
1181/2	0.87	1206/1	0.40
1181/3	0.35	1206/2	0.40
1181/4	0.88	1207/1	0.33
1181/5	0.60	1207/2	0.50
1182/1	0.45	1207/3	0.50
1182/2	0.45	1207/4	0.23
1182/3	0.45	1207/5	0.44
1183	0.32	1207/6	0.47
1184	0.52	1207/7	0.33
1185	0.12	1208/1	1.00
1186	0.14	1210/1	0.63
1187	0.30	1208/2	0.30
1188	0.82	1208/3	0.30

(1)	(2)	(1)	(2)
1208/4	0.54	1225/1	1.00
1209	1.60	1225/2	0.99
1210/2	0.09	1226/1	0.13
1211/1	0.65	1226/2	0.18
1211/2	0.65	1226/3	0.19
1211/3	0.40	1227	0.75
1211/4	0.34	1228	0.55
1212/1	0.95	1229/1	1.05
1212/2	0.95	1229/2	0.30
1213	1.02	1229/3	0.29
1214	0.38	1230	0.18
1215/1	0.76	1231/1	0.30
1215/2	0.75	1231/2	0.30
1216/1	0.29	1231/3	0.16
1216/2	0.29	1232/1	0.40
1216/3	0.29	1232/2	0.22
1216/4	0.29	1233/1	0.57
1217	0.42	1233/2	0.11
1218	1.20	1233/3	0.19
1219/1	0.45	1234	0.17
1219/2	1.40	1235/1	0.28
1219/3	0.74	1235/2	0.42
1219/4	0.74	1235/3	0.42
1219/5	0.20	1235/4	0.55
1219/6	0.30	1236	0.38
1219/7	0.47	1237	0.66
1219/8	0.26	1238	0.31
1220/1	0.58	1239	0.23
1220/2	0.40	1240	0.31
1221/1	0.04	1241	0.55
1221/2	0.08	1242	0.52
1222/1	0.20	1243/1	0.33
1222/2	0.95	1243/2	0.34
1223/1	0.25	1244/1	0.45
1223/2	0.37	1244/2	0.49
1223/3	0.32	1244/3	0.20
1223/4	0.15	1244/4	0.28
1223/5	0.45	1244/5	0.54
1223/6	0.25	1245	0.89
1223/7	0.40	1246/1	0.32
1224/1	0.60	1247/1	0.30
1224/2	0.65	1247/2	0.67
1224/3	1.00	1248	0.75
1224/4	0.66	1249	0.47
1224/5	0.30	1250/1	0.48
1224/6	0.36	1250/2	1.00

(1)	(2)
1251/1	0.60
1251/2	0.45
1251/3	0.70
1252/1	0.45
1252/2	0.55
1252/3	0.22
1252/4	0.23
1253	0.16
1254	0.82
1255/1	0.25
1255/2	0.25
1256	0.16
1257	0.48
1258	0.28
1259	0.62
1260	0.70
1261	0.68
1262	0.26
1263	0.58
1264	0.60
1265	0.90
1266	0.61
1267/1	0.80
1267/2	0.70
1269	0.35
1270/1	0.37
1270/2	0.73
1271	0.73
1272/1	0.38
1272/2	0.38
1273/1	0.72
1273/2	0.62
1274	0.54
1275/1	0.30
1275/2	0.12
1275/3	0.18
1276/1	0.48
1276/2	0.36
1277/1	0.62
1277/2	0.66
1277/3	0.52
1277/7	0.10
1278	1.16
1279/2	0.96
1280/2	0.22
1280/3	0.63
1281	0.38
1282/1	0.34
1282/2	0.63
1282/3	0.34
1283	0.70
1284	1.28
1285	1.02
1286/1	0.52
1286/2	0.51
1287	0.92
1288	1.10
1289	0.20
1290	0.58
1291	0.12
1292/1	0.88
1292/2	0.74
1292/3	0.80
1292/4	0.75
1292/5	0.80
1292/6	0.83
योग 408	227.47

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सैन्य छावनी स्थापित किये जाने हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिल्हा के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-खैरपाली, प. ह. नं. 34

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.226 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
154, 199/1/1	0.202
154, 199/1/2	0.142
155/1	0.008
156	0.012
177	0.202
178, 179	0.243
189	0.081
190	0.162
191/1	0.202
191/2	0.049
192	0.049
193/1	0.200
193/2	0.010
197/1, 206/1	0.040
197/3, 206/4	0.202
197/4, 206/5	0.162
197/5, 206/6	0.101
198	0.081
199/2	0.125
199/3	0.125
280/1ख, 306/1/2	0.231
280/1ख, 306/1/3	0.097
306/3	0.101
331/1	0.040
331/3	0.146
331/4	0.146
359/1	0.028
359/3	0.028
364/2	0.121
367	0.283
368	0.061
369	0.202
371/2, 372/1	0.283
372/2	0.061
योग 34	4.226

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में उपलब्ध है. शासकीय कार्य दिवस एवं कार्यावधि में अवलोकन/निरीक्षण किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-फूलबंधिया, प. ह. नं. 34

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.338 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
260/2	0.121
261/2	0.053
275	0.405
281/12	0.081
283	0.214
284	0.020
289	0.279
290	0.049
292/1	0.061
292/3, 292/4	0.182
295	0.271

(1)	(2)
296	0.089
310	0.243
356	0.045
357/4ख	0.101
357/4घ	0.156
357/4ङ	0.040
361	0.129
362/5	0.109
362/6	0.040
363	0.202
364/1	0.020
365/1	0.020
365/2	0.053
365/3	0.040
366	0.105
367/1	0.049
370	0.121
372/1	0.040
योग 29	3.338

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में उपलब्ध है. शासकीय कार्य दिवस एवं कार्यावधि में अवलोकन/निरीक्षण किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-बेन्दोझरिया, प. ह. नं. 34

(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.069 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
281/3ख	0.061
29/2ख	0.040
171/7	0.036
189/4	0.036
189/5	0.036
278/3	0.053
29/4	0.053
189/7	0.020
189/9	0.040
105/3	0.101
169/3	0.101
105/2	0.093
189/6	0.028
193/1	0.364
57/1	0.231
143/1	0.040
59/1	0.061
105/6	0.053
30/1, 30/2	0.101
192/1	0.263
194	0.097
216/2	0.182
277/1	0.081
277/2	0.081
277/3	0.089
284, 285/2	0.081
285/1	0.081
285/5	0.081
24/3, 26/7	0.142
195	0.158
205/1	0.214
280/2	0.162
151/2, 153, 154/1	0.324
171/4	0.161
192/2	0.040
196/1	0.040
201/1	0.101
201/2	0.061
202	0.081
49	0.081
48	0.142
215	0.081
189/8	0.081
278/2	0.061
281/2	0.028

(1)	(2)
278/4	0.097
156/1क	0.243
168/1, 168/2, 168/3, 164/4, 168/5, 168/6, 170/1/1	0.202
213/2	0.101
105/4	0.049
171/2घ/7	0.020
189/12	0.016
151/2, 153, 154/2	0.081
151/2, 153, 154/5	0.081
171/8	0.041
104/1	0.202
104/3	0.146
171/2घ/6	0.008
171/6ग	0.020
189/11	0.020
156/1ख, 163/3	0.061
171/2घ/2	0.008
189/2	0.056
189/3	0.036
58/2	0.089
189/10	0.028
189/15	0.012
189/16	0.053
203	0.121
156/1घ, 163/1/2	0.058
285/4	0.040
22/2, 24/2	0.081
151/2, 153, 154/3	0.324
151/2, 153, 154/6	0.093
151/2, 153, 154/7	0.063
171/9	0.061
27	0.020
28	0.020
171/2घ/5	0.020
189/13	0.016
189/1	0.057
278/1	0.056
281/3क	0.053
204/1	0.020
189/14	0.028
29/2ग	0.040
170/4	0.060
58/1	0.041
50	0.162
58/3	0.202
58/4	0.121
59/2	0.121
105/5	0.777
24/1, 26/1	0.040
280/1	0.162
योग 95	9.069

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में उपलब्ध है. शासकीय कार्य दिवस एवं कार्यावधि में अवलोकन/निरीक्षण किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2012-13 —चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़ (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-बासनपाली, प. ह. नं. 36
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.759 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2	0.020
3	0.020
5/4	0.081
5/5	0.109
5/6	0.113
5/7	0.081

(1)	(2)
6/10	0.020
6/4, 9/4	0.040
6/5, 9/5	0.134
6/6, 9/6	0.101
6/7, 9/7	0.176
6/8, 9/8	0.020
6/9, 9/9	0.101
7/1, 9/1/1	0.105
7/2, 9/1/2	0.020
87/1	0.081
87/5	0.061
97/1	0.405
98/3	0.012
99/10	0.162
99/11	0.008
99/5	0.093
99/6	0.036
99/7	0.283
105/1	0.223
105/3	0.154
106	0.283
128	0.012
130	0.202
145, 146, 147, 148	0.142
160, 161	0.121
164/1	0.101
165/1	0.057
165/2	0.040
165/3	0.020
165/5	0.045
165/6	0.049
166/1	0.061
167/2	0.162
182/2	0.020
182/4	0.223
247/4	0.089
249/1	0.243
250	0.040
252/2	0.065
252/3	0.081
253/1	0.045
योग 47	4.759

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में उपलब्ध है. शासकीय कार्य दिवस एवं कार्यावधि में अवलोकन/निरीक्षण किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 दिसम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-खैरपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.420 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
548/4	0.089
560/1	0.040
386/1	0.020
465/2	0.008
356/2	0.008
548/2	0.028
306/1	0.016
312/4	0.016
561/5	0.057
560/3	0.081

	(1)	(2)
	295/2	0.049
	305/4	0.008
योग	12	0.420

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खैरपुर-कृष्णापुर सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 29 नवम्बर 2012

क्रमांक/3387/अ.भू.-अ.प्र./01/अ-82/वर्ष 2011-12.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-अकोली, प. ह. नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-22.20 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
828/1	0.20
828/2	0.20
809	0.13
831	0.08
868	0.21
736	0.21
788	0.16
790	0.17
801	0.09
803	0.06
832	0.13
793	0.07
802/1	0.15
833/1	0.05
789/1	0.07
789/3	0.28
906/3	0.35
845/1	0.06
849	0.09
845/2	0.05
846	0.14
806	0.17
857	0.02
853	0.07
915	0.04
847/1	0.09
807/2	0.05
817/2	0.08
787	0.17
835/2	0.10
847/4	0.30
855/2	0.20
834	0.20
735	0.13
817/1	0.08
835/1	0.10
847/2	0.09
847/3	0.17
847/5	0.24
855/1	0.20
807/1	0.04
867/2	0.12
903/2	0.08
800	0.08
836	0.09
837	0.37
838	0.30
872	0.53
839/2	0.07
840	0.35

(1)	(2)
869	0.12
841/1	0.57
841/2	0.56
842/4	0.03
842/1	0.17
819/1	0.14
808/1	0.09
867/1	0.11
903/1	0.08
848	0.14
861	0.05
863	0.35
850	0.08
804	0.26
852	0.09
859	0.13
914	0.04
797	0.14
854	0.10
858	0.05
805	0.14
811	0.14
916	0.04
866/1	0.15
866/2	0.15
866/3	0.15
870/1	0.14
870/2	0.14
870/3	0.14
871	0.21
789/2	0.29
802/2	0.13
818	0.07
819/5	0.21
842/2	0.17
842/5	0.03
842/3	0.20
808/2	0.08
819/3	0.21
843	0.14
851	0.20
860	0.20
862	0.21
844/1	0.16
906/1	0.17
844/2	0.09
833/2	0.05
789/4	0.19
802/3	0.12
833/3	0.04
810	0.54
904	0.37
906/2	0.18
907	2.11
909	3.14
911	0.13
918	0.18
794	0.13
839/1	0.07
734	0.21
योग 110	22.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अकोली जलाशय हेतु डुबान क्षेत्र.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चंद्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2012

क्रमांक-एफ-27/न.पा./रानिआ/समय कार्यक्रम/2012/1328.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14(1) सहपठित धारा 21, छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) सहपठित धारा 37(1) तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 11-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 21 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा संलग्न परिशिष्ट एक में उल्लेखित नगरीय निकायों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए उप निर्वाचन दिसंबर 2012 हेतु निम्नानुसार समय अनुसूची (कार्यक्रम) विहित करता है :—

क्र. (1)	कार्यवाही (2)	संबंधित नियम (3)	निर्धारित तारीख एवं समय (4)
1.	(i) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन	21	3-12-2012 सोमवार पूर्वान्ह 10.30 बजे
	(ii) नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना	21	3-12-2012 सोमवार पूर्वान्ह 10.30 बजे से
	(iii) स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन.	22-क	3-12-2012 सोमवार प्रात: 10.30 बजे
	(iv) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन.	16	3-12-2012 सोमवार प्रात: 10.30 बजे
2.	नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख	21 (क)	10-12-2012 सोमवार अपरान्ह 3.00 बजे तक
3.	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच)	21 (ख)	11-12-2012 मंगलवार पूर्वान्ह 10.30 बजे
4.	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख	21 (ग)	13-12-2012 गुरुवार अपरान्ह 3.00 बजे तक
5.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और, निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.	31, 32	13-12-2012 गुरुवार अभ्यर्थिता वापसी के बाद
6.	मतदान (यदि आवश्यक हो)	21 (घ)	23-12-2012 रविवार प्रात: 8.00 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	मतगणना	21 (ङ)	27-12-2012 गुरुवार प्रात: 9.00 बजे से
8.	निर्वाचन परिणामों की घोषणा	74	27-12-2012 गुरुवार मतगणना के पश्चात्

हस्ता./-

(आई. आर. देहारी)
सचिव,
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
रायपुर.

परिशिष्ट-एक

क्र. (1)	जिला (2)	नगरीय निकाय का नाम (3)
1.	बिलासपुर	नगर पंचायत के बिल्हा के रिक्त वार्ड क्रमांक 8 एवं नगर पंचायत सिरगिट्टी (अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन)
2.	सरगुजा	नगर पालिक निगम अम्बिकापुर के रिक्त वार्ड क्रमांक 10
3.	रायपुर	नगर पालिक निगम रायपुर के रिक्त वार्ड क्रमांक 41
4.	बलौदाबाजार	नगर पंचायत टुण्डरा (अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन)
5.	धमतरी	नगरपालिका परिषद् धमतरी के रिक्त वार्ड क्रमांक 34
6.	दुर्ग	नगर पालिक निगम भिलाई के रिक्त वार्ड क्रमांक 66 एवं नगर पंचायत उतई के रिक्त वार्ड क्रमांक 5
7.	बालोद	नगर पंचायत चिखलाकसा के रिक्त वार्ड क्रमांक 1, 14 एवं 15
8.	कोण्डागांव	नगर पालिका परिषद् कोण्डागांव के रिक्त वार्ड क्रमांक 5